



Neutral Citation No - 2026:AHC:30481

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4056

राम किशन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत प्रारंभ कार्यवाहियों में प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील भरथना, इटावा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.08.2023 पूर्णतः अव्याख्यात्मक आदेश है और वह इस न्यायालय की समन्वयी पीठ द्वारा **ऋषिपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; 2023 (1) ADJ 154** में प्रतिपादित विधि के पूर्ण उल्लंघन में पारित किया गया है। तर्क है कि प्रकरण के उक्त पहलू पर विचार किए बगैर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 की उपधारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त सांविधिक अपील, जो याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई थी, उसे प्रतिवादी संख्या 2/कलेक्टर, इटावा द्वारा आदेश दिनांकित 28.10.2025 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. प्रकरण पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से सूचना स्वीकार की है। श्री हरि नारायण सिंह, विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से सूचना स्वीकार की है।

4. ग्रहण किया जाए।

5. समस्त प्रतिवादियों को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु छः सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात् एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर शपथ-पत्र दाखिल किया जा सकता है।

6. तत्पश्चात् सूचीबद्ध किया जाए। इस न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक, प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील भरथना, इटावा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.08.2023 तथा प्रतिवादी संख्या 2/कलेक्टर, इटावा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.10.2025 का प्रभाव एवं प्रवर्तन स्थगित रहेगा।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"